बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰(III)ब–8/2013 (पार्ट)– /पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,
निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,
बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105– इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या– 43, उपशीर्ष–0106–अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय) विपत्र कोड 43-- 4202021050106 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1254, दिनांक 30.05.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर के अतिरिक्त वर्गकक्षों, प्रयोगशालाओं, छात्रावास, पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित उपस्कर, एक सर्वर का क्रय एवं 30 Mbps Lease Line के अधिष्ठापन के लिए रू॰ 1,17,00,000=00 मात्र तथा संस्थान में LAN, CCTV, अधिष्ठापित Lease Line का वार्षिक शुल्क, छात्र/छात्राओं के क्लब के लिए आवश्यक सामग्री एवं पुस्तक/नेशनल ई–जरनल/इन्टरनेशनल ई–जरनल के क्रय हेतु रू॰ 34,00,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 1,51,00,000=00 (एक करोड़ इक्यावन लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 52–मशीनरी एवं उपस्कर विस्तृत शीर्ष के 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय तथा 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्षों में क्रमशः रू॰ 17,00,000=00 मात्र तथा रू॰ 1,00,00,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 1,17,00,000=00 (एक करोड़ सत्रह लाख रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561/वि॰(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–428, दिनांक 31.03.2017 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी॰ भी॰ न॰ एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह॰/ –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)ब–8/2013 (पार्ट)– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

निदेशक

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)ब–8/2013 (पार्ट)– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, बाढ़ (पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

निदेशक

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)ब–8/2013 (पार्ट)– 11(2017) /पटना, दिनांक 12-6-2017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.06.17

निदेशक

8/6/17